I/ /2025/77963–2(55पे0)/2019

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान।
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक सितम्बर 2025

विषय :– उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त महानुभाव को अनुमन्य सुविधाओं होने वाले व्यय के लिए धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–4039/वि0अनु0/02/शा0अनु0/2025–26 दिनांक 15 सितम्बर, 2025 संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त महानुभाव को अनुमन्य सुविधाओं (वाहन भत्ता एवं कार्यालय सह आवास भत्ता) हेतु **रू0 8.875 लाख (रू0 आठ लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र)** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत धनराशि का मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा।

(iii) सचिव, वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–133/XXVII(7)2020 दिनांक 29.05.2020 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) उक्त धनराशि जिन मदों के लिये मांगी जा रही है, उसी में व्यय की जायेगी। उससे इतर धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

2. उक्त धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–001–निदेशन तथा प्रशासन–02–पेयजल सलाहकार समिति–00–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3. प्रश्नगत धनराशि, आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के दिशा–निर्देश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025 दिनांक 31.03.2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 06-10-2025
12:20:47

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृ0सं0 77963(1)–2(55पे0)/2019 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 06-10-2025
12:28:46

(डी0एम0एस0राणा)
संयुक्त सचिव।